लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1211

28 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में कठोर श्रम कानूनों को समाप्त करना

1211. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र उद्योग, जोकि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, अपने पचालनों को बाधित करने वाले कठोर श्रम कानूनों को समाप्त करने की मांग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रम-गहनता वाले वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उपरोक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ङ): वैश्विक मर्चेंडाइज व सेवा व्यवसाय में भारत के हिस्से व महत्व को बढ़ावा देने, दबावपूर्ण द्विपक्षीय व्यवसायिक संबंधों के प्रबंध तथा वस्त्र सहित नई पीढ़ी के नीति निर्माण को मुख्यधारा में लाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) गठित किया गया है। सलाहकार समूह ने 22 मई, 2019 को वाणिज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(च): सरकार ने वस्त्र उद्योग के उन्नयन के लिए श्रम सुधारों पर कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

(i) श्रम कानूनों में सुधार:

ओवरटाइम सीमा बढ़ाना: आईएलओ मानकों के अनुरूप कार्मिकों के लिए अधिकतम 8 घंटे के ओवरटाइम घंटे नियत किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्मिकों की आमदनी बढ़ सकती है।

नियम अवधि रोजगार की शुरूआत: गारमेंट खंड के मौसमी प्रकृति को देखते हुए काम के घंटों, मजदूरी, भत्तों और अन्य सांविधिक देनदारियों की दृष्टि से स्थायी कामगारों के समकक्ष नियत अवधि कामगार।

(ii) **<u>आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए की सीमा का विस्तार</u>:** गारमेंट उद्योग के मौसमी प्रकृति को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए के अंतर्गत 240 दिन के प्रावधान को गारमेंट उद्योग के लिए छूट देकर 150 दिन कर दिया गया है।

(iii) इसके अलावा, सरकार ने गारमेंटिंग व मेडअप्स क्षेत्र में निवेश, रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घटकों सहित 2016 में 6000 करोड रूपए का एक विशेष पैकेज आरंभ किया है: (i) निर्यातकों को राज्य स्तरीय करों के लिए राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल) के अंतर्गत पूर्ण रिफंड उपलब्ध कराया जाता है; (ii) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अधीन 10 प्रतिशत का उत्पादन संबद्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है; (iii) प्रतिमाह 1500 रूपए से कम आय वाले गारमेंट उद्योग के कार्मिकों के लिए 01 अप्रैल, 2018 से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान का संपूर्ण 12 प्रतिशत सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा मूल्यवर्द्धित वस्त्र अपैरल और मेड-अप्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी समाविष्ट राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय दरों/शुल्कों में छूट देने के लिए सरकार द्वारा राज्य व केंद्रीय करों व शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) के लिए एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

****